न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 19/2016 G.C.M.S. No: 2016/00613 दर्ज दिनांक : 14.07.2016

अपीलार्थिगण

1. नारायणभाई पुत्र वक्ताजी मेघवाल, जाति मेघवाल, निवासी चन्द्रावती तहसील आबूरोड़ जिला सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. मीरा पुत्री गोदीया जाति मेघवाल, निवासी मावल तहसील आबूरोड़
2. पुरी पुत्री गोदीया, जाति मेघवाल, निवासी मावल, तहसील आबूरोड़
3. स्वर्गीय भीखा पुत्र गोदीया के वारीसान व कायम मुकामः–
   3/1. रामा पुत्र भीखाजी जाति मेघवाली निवासी मावल
   3/2. विक्रम पुत्र भीखाजी जाति मेघवाली निवासी मावल
   3/3. दिनेश पुत्र भीखाजी जाति मेघवाली निवासी मावल
   3/4. सीता पुत्री भीखाजी जाति मेघवाली निवासी मावल
4. स्व. चम्पा पुत्री गेदीया पत्नी धन्नाजी के वारिसान
   4/1. पुरा पुत्र धन्नाजी जाति मेघवाल निवासी सांतपुर
   4/2. भगी पुत्री धन्नाजी जाति मेघवाल निवासी सांतपुर
   4/3. कमी पुत्री धन्नाजी जाति मेघवाल निवासी सांतपुर
5. पदमा पुत्र गोदीया जाति मेघवाल निवासी मावल, तहसील आबूरोड़
6. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार साहब, आबूरोड़

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलेक्टर आबूपर्वत द्वारा राजस्व वाद संख्या 27/2014 बउनवान मीरा बनाम स्व. भीखाराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.07.2015 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकारः–

1. श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तीया विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 28.01.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर आबूपर्वत द्वारा राजस्व वाद संख्या 27/2014 बउनवान मीरा बनाम स्व. भीखाराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षिप्त में निम्नानुसार है–

रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। उक्त प्रकरण में अपीलांट द्वारा अपने खरीद की गई भूमि के अलावा अन्य भूमि के सम्बंध में पक्षकारान द्वारा राजीनामा करने पर सहमति जाहिर की थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण आराजी के सम्बंध में उक्त निर्णय पारित कर प्रारभिक डिक्री पारित की है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी का

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

सद्भावी क्रेता है। अपीलांट ने अपनी आराजी जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख के खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है। अपीलांट अपनी खरीद की गई आराजी पर काबिज होने तथा वादग्रस्त आराजी का खातेदार होने से कानूनन उक्त विक्रय विलेख के अस्तित्व में रहते डिक्री पारित नहीं की जा सकती। पक्षकारान को उक्त प्रकरण में सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया तथा मुगालते में रखकर सहमती के आधार पर उक्त डिक्री पारित की गई है। अपीलांट ने कभी भी सहमती नहीं दी है। जिससे डिक्री खारिज योग्य है। अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त फरमावे।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट बावजूद तामिली के अनुपस्थित रहने से अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी जाकर उस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.07.2015 के विरूद्ध दिनांक 12.07.2016 को प्रस्तुत की गई। विलंबकाल के संबंध में अपीलांट द्वारा धारा 5 के प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से यह निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा प्रार्थी द्वारा खरीद की गई कृषि भूमि को शामिल करते हुए डिक्री पारित की। जिसकी जानकारी अप्रार्थीगण द्वारा धारा 229 आर. टी. एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश करने पर हुई है। इस कारण अपील प्रस्तुत करने में जो देरी हुई है उसे माफ किया जाना और अपील म्याद शुमार किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः विलंबकाल सद्भाविक होने से माफ कर अंदर म्याद शुमार फरमावें।
2. चूंकि प्रकरण में लगभग 1 वर्ष का विलंब निहित है तथा प्रकरण का कठोर तकनीकी आधार पर निर्णयन के बजाय गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। जिसके लिए अपीलांट को सुनवाई का अवसर मिलना ही चाहिए। अतः विलंबकाल सद्भाविक नहीं माने जाने का कोई कारण नहीं होने से विलंबकाल माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।
3. अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण रेस्पोडेन्ट मीरा व पूरी पुत्री गोदिया द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादीगण गोदिया की वारिसान पुत्रियां होने से वादग्रस्त आराजीयात में अपना हिस्सा निहित होने पिता गोदिया की मृत्यु होने पर केवल वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का नाम गलत रूप से जरिये नामान्तरण दर्ज कर देने एवं वादीगण पुत्रियो का नाम दर्ज नहीं करने के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा, बंटवाडा, स्थाई निषेधाज्ञा बाबत

राजस्व अपील प्राधिकारी

वादपत्र प्रस्तुत किया। अपीलांट प्रतिवादी संख्या 04 वादग्रस्त आराजीयात का क्रेता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कैम्प कोर्ट मावल में वादीगण एवं प्रतिवादीगण में से प्रतिवादी संख्या 1/1, 1/4, 2/1 को छोड़कर शेष के आदेशिका पर हस्ताक्षर व प्राथमिक डिक्री हेतु सहमति के अंकन के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री द्वारा वादीगण का नाम रेकर्ड में दर्ज करते हुए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर वादपत्र स्वीकार किया गया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन डिक्री में वादीगण को वादग्रस्त आराजीयात में किन प्रतिवादीगण के साथ या स्थान पर तथा कितने हिस्से के खातेदार अभिधारी घोषित किया गया? के संबंध में कोई निर्णय व अभिमत पारित नहीं किया गया, बल्कि केवल यह अंकित करते हुए कि वादीगण का नाम रेकर्ड में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है, वादपत्र स्वीकार कर लिया गया जो कि हमारे विनम्र मत में आज्ञापक प्रक्रियागत प्रावधानों के उल्लघन के साथ साथ पुर्णतया अस्पष्ट व विधि–विरूद्ध है।

4. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 03.07.2015 को प्रकरण में दो प्राथमिक डिक्री पारित की गयी। द्वितीय प्राथमिक डिक्री मूल प्राथमिक डिक्री के संशोधन में जारी की गयी। संशोधित प्राथमिक डिक्री में वादग्रस्त आराजीयात के विभाजन के संबंध में कोई निर्देश व अंकन नहीं है, जबकि मुख्य अनुतोष है खातेदारी अधिकारों की घोषणा व बंटवाडे का है, साथ ही अविभाजित सहखातेदारी के विभाजन के संबंध में अन्तिम डिक्री जारी होने से पहले ही प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द कर दिया गया जो विधिसम्मत नहीं है। स्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में निर्णय अंतिम डिक्री में ही पारित किया जा सकता है। अतः ऐसी स्थिति में संशोधित प्राथमिक डिक्री विधिसम्मत नहीं होने से काबिल अपास्त है।

5. यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा या सहमति निष्पादित नहीं की है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण को राजीनामे के आधार पर निर्णित नहीं किया जा सकता, बल्कि दीगर पक्षकारान को जवाबदावा प्रस्तुत करने तथा दावे व जवाबदावे के आधार पर विवाद्यक कायम कर उभयपक्षकारान को साक्ष्य व प्रतिरक्षा का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए वादपत्रो के निस्तारण हेतु व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 एवं राजस्थान राजस्व न्यायालय मेन्युअल 1956 में यथाविहित आज्ञापक विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों का अनुपालन करते हुए प्रकरण निर्णित किया जाना आज्ञापक व अपेक्षित था, लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस पर गौर एवं अनुपालन नहीं करते हुए अपीलाधीन डिक्री पारित करने कानुनन भूल की है। जो दुषित व त्रुटिपूर्ण होने से पुष्टि योग्य नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

अतः उपर्युक्त विस्तृत विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टि योग्य नहीं होने तथा अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त करते हुए प्रकरण विधि अनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया पूर्णतयाः विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः उक्त अपील अपीलांट्स अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती है, तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर आबूपर्वत द्वारा राजस्व वाद संख्या 27/2014 बउनवान मीरा बनाम स्व. भीखाराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.07.2015 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि प्रकरण में व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 08, 13, 14, 15, 16, 18, 19 व 20 एवं राजस्थान राजस्व न्यायालय मैन्युअल के संगत विधिक प्रावधानों में विहित आज्ञापक विधिक प्रक्रियागत प्रांवधानों का अनुपालन करते हुए प्रकरण में जवाबदावा व उभयपक्षकारान् को साक्ष्य व प्रतिरक्षा आदि का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण विधि अनुरूप पुनः निर्णित व डिक्री करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 09.03.2026 को न्यायालय सहायक कलक्टर, आबूपर्वत में असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner